न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
81 / 2016 / प्रा.पत्र / 2016	19.12.2016	27.06.2022

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–खाद्य कारोबारकर्ता श्री महावीर प्रसाद जैन पुत्र श्री मदललाल अग्रवाल उम्र 52 साल जाति महाजन निवासी एस0बी0बी0जे0 बैंक के सामने टोडारायसिंह जिला–टोंक मैसर्स महावीर किराणा स्टोरएस0बी0बी0जे0 बैंक के सामने टोडारायसिंह जिला–टोंक
2–मैसर्स महावीर किराणा स्टोरएस0बी0बी0जे0 बैंक के सामने टोडारायसिंह जिला–टोंक
3–श्री पारस कुमार जैन पुत्र श्री भंवरलालनिवासी डाण्ड का रास्ता केकड़ी जिला –अजमेर राज0 प्रोपराईटर मैसर्स अनिल एजेन्सीज जूनिया गेट जयपुर रोड केकड़ी जिला–अजमेर
4–मैसर्स अनिल एजेन्सीज जूनिया गेट जयपुर रोड केकड़ी जिला–अजमेर राज0

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार उपस्थित।
2–अप्रार्थीगण अनुपस्थित

:–<u>निर्णय</u>–: **दिनांक 27.06.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.05.2016 को दोपहर 12:15 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स महावीर किराणा स्टोरएस0बी0बी0जे0 बैंक के सामने टोडारायसिंह जिला टोंक राज. पर पहुंचा। वहाँ पर खाद्य कारोबारकर्ता एंव प्रोपराइटर की हेसियत से श्री महावीर प्रसाद जैन पुत्र श्री मदनलाल अग्रवाल अपने प्रतिष्ठान में कारोबार करते हुए उपस्थित थे, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया उनसे पूछने पर प्रतिष्ठान का एक मात्र मालिक होना स्वीकार किया एंव मौके पर खाद्य अनुज्ञा आवेदक के समक्ष प्रस्तुत किया।

आवेदक द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में कागज के 25 कार्टूनों में लगभग 600 बोतल स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड वाटर (एम0एल0 कोला ब्रान्ड) की 250 मिली0 पेक की बोतल रखी हुई थी। इस, स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड वाटर (एम0एल0 कोला ब्रान्ड) की बोतल का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री महावीर प्रसाद जेन पुत्र श्री मदनलाल अग्रवाल को गवाह के सामने फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, एफ.बी.ओ. को सूचित कर दो प्रतियों में एफ.बी.ओ. श्री श्री महावीर प्रसाद जेन पुत्र श्री मदनलाल अग्रवाल व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड वाटर (एम0एल0 कोला ब्रान्ड) को वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किए जा रहे हैं। 25 कार्टूनों में रखी 600 बोतल 250 मिली0 में से 2 कागज के कार्टूनों को खेलकर 48 बोतल प्रत्येक 250 मिली पेक की पेक्ड अवस्था में स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड वाटर (एम0एल0 कोला ब्रान्ड) के बेज नम्बर बी.के.0सी/3/एंव पेकिंग की दिनांक 2–3–2016 थी, को ज्यों का त्यों वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को नगद रूपये देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड वाटर (एम0एल0 कोला ब्रान्ड) की 48 बोतल प्रत्येक 250 मिली. पेक को 12–12 बोतल के चार भाग बराबर–बराबर चार भाग तैयार कर लेबल तैयार कर ज्यों का त्यों लेकर, चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1377 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप न. आई–1377 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येंक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

श्री महावीर प्रसाद जैन पुत्र श्री मदललाल अग्रवाल उम्र 52 साल जाति महाजन निवासी एस0बी0बी0जे0 बैंक के सामने टोडारायसिंह जिला–टोंक राज. से स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड वाटर (एम0एल0 कोला ब्रान्ड) वास्ते विश्लेषणार्थ क्रय किया जब मौके पर अन्य फर्म से क्रय करने का मूल वारंटी बिल मांगा गया तो श्री महावीर प्रसाद जैन ने मौके पर बतौर वारंटी बिल प्रस्तुत नहीं किया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने श्री महावीर प्रसाद जैन पुत्र श्री मदललाल अग्रवाल उम्र 52 साल जाति महाजन निवासी एस0बी0बी0जे0 बैंक के सामने टोडारायसिंह जिला–टोंक राज. से स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड वाटर (एम0एल0 कोला ब्रान्ड) का वारंटी बिल प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त खाद्य पदार्थ का वारन्टी/खरीद बिल मंगवाने बाबत पत्र प्रेषित किया। जिसके प्रतिउत्तर में श्री महावीर प्रसाद जैन पुत्र श्री मदललाल अग्रवाल ने व्यक्तिशः उपस्थित होकर मैसर्स अनिल एजेन्सीज जूनिया गेट जयपुर रोड केकड़ी जिला–अजमेर राज0 का वारन्टी बिल संख्या इन्वाइस नं0 833 दिनांक 30–4–2016 प्रस्तुत कर उपरोक्त स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड वाटर (एम0एल0 कोला ब्रान्ड) क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./16/3638 दिनांक 15.09.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1607/एक्ट/.2016/2613 दिनांक 22.07.2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच कराने हेतु क्रय किया गया स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड वाटर (एम0एल0 कोला ब्रान्ड) एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1)(zf)(c)(i) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया। प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड वाटर (एम0एल0 कोला ब्रान्ड) विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1 व 2 दिनांक 3–12–2021 को स्वयं उपस्थित हुए एवं जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहा गया। अप्रार्थी सं0 3 व 4 दिनांक 15–2–2019 को उपस्थित हुए उसके आद आदिनांक तक उपस्थित नहीं हुए, ओर न ही आदिनांक तक अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत किया। जिससे साबित है कि अप्रार्थीगण को प्रकरण में कुछ नहीं कहना है। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड वाटर (एम0एल0 कोला ब्रान्ड) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया स्वीटेण्ड कार्बोनेटेड वाटर (एम0एल0 कोला ब्रान्ड) नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 धारा 26 की उप धारा 2(ii) तथा धारा 52(सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत अपराध व जुर्माना की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी सं0 1 व 2 श्री महावीर प्रसाद जैन पुत्र श्री मदललाल अग्रवाल जाति महाजन निवासी एस0बी0बी0जे0 बैंक के सामने टोडारायसिंह जिला–टोंक मैसर्स महावीर किराणा स्टोरएस0बी0बी0जे0 बैंक के सामने टोडारायसिंह जिला–टोंक पर शास्ति 50,000 (अक्षरे पचास हजार रू0) व अप्रार्थी सं0 3 व 4 श्री पारस कुमार जैन पुत्र श्री भंवरलाल निवासी डाण्ड का रास्ता केकड़ी जिला –अजमेर राज0 प्रोपराईटर मैसर्स अनिल एजेन्सीज जूनिया गेट जयपुर रोड केकड़ी जिला–अजमेर पर शास्ति 150,000 (अक्षरे एक लाख पचास हजार रू0)आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 27.06.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0